Tele : 26189210
Fax : 2618 3227
Web: www.ncbc.nic.in

त्रिकूट-१,भीकाजीकामाप्लेस,
नईदिल्ली-११००६६
Trikoot-1, BhikajiCama Place,
New Delhi - 110066

भारतसरकार
सामाजिकन्यायएवंअधिकारितामंत्रालय
राष्ट्रीयपिछड़ावर्गआयोग
Government of India
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
**(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 'B' of the Constitution of India)**

F. No. NCBC/06/01/180/2020 Date: 23.02.2021

To,

1. The Secretary,
   Department of Personnel & Administrative Reforms and Training,
   3rd Floor, Block –A, Assam Secretariat,
   Dispur, Guwahati – 6
   (Email: tonmoypb@gmail.com)

2. The Commissioner & Secretray,
   Government of Assam, WPT & BC Deptt.,
   D-Block, 3rd Floor, Janta Bhawan, Dispur,
   Guwahati, Assam-781006.

3. The Deputy Commissioner,
   Government of Assam,
   D.C.S. Court Building, Jorhat, Assam-785001

**Sub: Complaint regarding fake caste certificate of Smt. Moonsoon Barkakati.**

Sir,

I am directed to refer to hearing dated 19.02.2021 at 11:15 AM through Video Conferencing on the above mentioned subject and to forward herewith Minutes of the hearing for necessary action and furnish action taken report to this Commission at the earliest.

2. This issues with the approval of Hon'ble Chairman, NCBC.

**Encl: As above**

Yours faithfully,

M.M. Chattopadhyay.
(Dr. M.M. Chattopadhyay)
Joint Director (Admin)

**मि. सं. रा. पि. व. आ. /06/01/180/2020-CP**
**मि. सं. रा. पि. व. आ. /06/11/126/2019-CP**
**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**
**अनुसंधान अनुभाग**
**सुनवाई के कार्यवृत**

एंटी करप्शन लिब्रेसन यूनियन द्वारा प्राप्त शिकायत में श्रीमती मूनसून बरकाकाती के फर्जी अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र के संबंध में **डॉ. भगवान लाल साहनी**, माननीय अध्यक्ष एवं **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल**, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा दिनाँक 19.02.2021 को 11:15 बजे पूर्वाह्न राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई नियत की गयी।

**सुनवाई में उपस्थित अधिकारी**
**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-**

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
2. श्री बी. के.पति, निदेशक
3. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव माननीय अध्यक्ष
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. कु. पारुल भारद्वाज, अनुसंधान अन्वेषक

**उपस्थित अधिकारीगण:-**

1. श्री टोनमाय प्रतिम बोरोहिन, सचिव, कार्मिक विभाग, असम राज्य
2. श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम राज्य
3. श्रीमती रोशनी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जोरहट, असम राज्य

**शिकायतकर्ता:**

1. एंटी करप्शन लिब्रेसन यूनियन

**सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-**

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** शिकायतकर्ता आयोग एवं उपस्थित अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या को प्रस्तुत करें।

**एंटी करप्शन लिब्रेसन यूनियन, शिकायतकर्ता:** सर, श्रीमती मूनसून बरकाकाती के संबंध में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, जोरहाट, असम ने दिनांक 4 दिसंबर 2020 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये अपने उत्तर में यह लिख कर दिया है कि श्रीमती मूनसून बरकाकाती के द्वारा प्रस्तुत किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। इसके पश्चात आज तक इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

**श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम:** इस मामले को स्क्रुटनी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था एवं इस संबंध में सी.आई.डी. की रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी। सी.आई.डी. की रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग को जांच पड़ताल हेतु पत्र लिखा गया है जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच पड़ताल करके स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया जाएगा हम इस पर कार्यवाही कर देंगे।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** क्या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जोरहाट, असम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट कार्यवाही करने के लिए काफी नहीं है? स्वास्थ्य विभाग से स्पष्टीकरण आने में और कितना समय लग जाएगा?

**श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम:** हम इस संबंध में एक अनुस्मारक भी भेज देंगे।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** क्या जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच करने का कार्य असम राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है?

**श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम:** जी नहीं सर, श्रीमती मूनसून बरकाकाती के पिताजी जनरल कैटेगरी से है जबकि उनकी माता अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी की है अतः इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** आयोग यह जानना चाहता है कि जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा अथवा संबंधित व्यक्ति जिस जिले का निवासी है वहां के जिलाधिकारी करेंगे?

**श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम:** ग्रेडेशन सूची तो स्वास्थ विभाग के पास ही है अतः उन्हीं से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** परंतु जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य तो जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है अतः जाति प्रमाण पत्र फर्जी है या नहीं यह जांच तो जिलाधिकारी या एसडीएम या तहसीलदार ही करेंगे, तो आपको वेरीफिकेशन भी उन्हीं से कराना चाहिए था।

**श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम:** श्रीमती मूनसून बरकाकाती के पिताजी डॉ संतनु बरकाकती ने जब नौकरी ज्वाइन की तो किस कैटेगरी से की थी यह जानकारी ग्रेडेशन लिस्ट में ही होती है इसीलिए स्वास्थ विभाग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। समिति ने यही निर्णय लिया था।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** जब जाति प्रमाण पत्र जिला स्तर पर जिला अधिकारी द्वारा बनाया जाता है तो आपको उन्हीं से स्पष्टीकरण भी लेना चाहिए।

**श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम:** उन्होंने तो बोल दिया है कि श्रीमती मूनसून बरकाकाती अनारक्षित श्रेणी में ही आती है। सी.आई.डी. की रिपोर्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा है कि श्रीमती मूनसून बरकाकाती अनारक्षित श्रेणी में ही आती है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** आयोग को पिछड़ा वर्ग विभाग, असम की मंशा पर शक हो रहा है जब एडीशनल डिप्टी कमिश्नर एवं सी.आई.डी. ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखकर दे दिया है कि श्रीमती मूनसून बरकाकाती अनारक्षित श्रेणी से है तो आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी वेबसाइट पर रोस्टर भी होगा तो आप उससे भी जांच कर सकतें है की किस वर्ग से नौकरी में एंट्री ली है।

**श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम:** स्वास्थ्य विभाग के पास भेजना मेरा नहीं बल्कि समिति का निर्णय था।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** समिति में कौन-कौन से माननीय सदस्य है?

**श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम:** समिति में माननीय अध्यक्ष, सचिव, निदेशक, एस.एस.पी., संयुक्त निदेशक इत्यादि माननीय सदस्य है।

**एंटी करप्शन लिब्रेसन यूनियन, शिकायतकर्ता:** हमारे पास भारत सरकार की ग्रेड़ेसन लिस्ट है जो हमने हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर की वेबसाइट से ली है। उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि श्रीमती मूनसून बरकाकाती के पिताजी डॉ संतनु बरकाकती जनरल केटेगरी से है। जब पिता जनरल केटेगरी से हैं तो उनकी पुत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से कैसे हो सकती है? यह सूची 2 साल पहले ही हमने प्रस्तुत भी कर दी थी परंतु अब उप सचिव जी बोल रहें है कि स्वास्थ्य विभाग से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। इसकी क्या आवश्यकता है?

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** आपको प्रमाणित करने में कितना समय लगेगा?

**श्री अजित नारायन हजारिका, उप सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, असम:** जाति प्रमाणित करने में कितना समय लगेगा इससे संबंधित जानकारी मेरे पास वर्तमान में नहीं है। इससे संबंधित जानकारी समिति के सचिव ही दे सकते हैं।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** क्या जिलाधिकारी, जोरहाट, असम के द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट सही है?

**श्रीमती रोशनी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जोरहट, असम:** जी। हमें शिकायत प्राप्त होने के पश्चात इस संबंध में कार्यवाही की गई थी। मजिस्ट्रेट मैडम श्रीमती मूनसून बरकाकाती के घर गई थी एवं श्रीमती मूनसून बरकाकाती एवं उनके परिवार द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके पश्चात यह रिपोर्ट बनाई गई थी कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है।

**श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य:** सचिव, कार्मिक विभाग, असम राज्य से आयोग की अपेक्षा है कि वे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शपथ पत्र पर दिनांक 22.02.2021 शाम 05:00 बजे तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें;

1. क्या यह सच है कि 16 नवंबर 2018, को 2016 बैच APSC संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा ने घोषित के परिणाम के अनुसार पत्र संख्या सं 52PSC/CON/Exam-3/2017-18 जोरहाट के निवासी डॉ संतनु बरकाकती की बेटी श्रीमती मूनसून बरकाकती का चयन ओबीसी कोटे के तहत असम लैंड एंड रेवेन्यू सर्विसेज (जूनियर ग्रेड) के कैडर में किया गया है ?
2. क्या 17 दिसंबर 2018 को APSC को कोई शिकायत प्राप्त हुई कि श्रीमती मूनसून बरकाकती द्वारा निर्मित जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं है, और वह सामान्य जाति से संबंधित है?
3. क्या एपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने जाति की स्थिति की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए 17 दिसंबर 2018 को असम सरकार के आयुक्त और सचिव को कार्मिक विभाग, दिसपुर, गुवाहाटी कोई पत्र लिखा था ?
4. सचिव कार्मिक विभाग असम ने दिए गए आवेदन पर क्या कार्यवाही की ?
5. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रयोग करने पर क्या सजा है?

**सुनवाई के उपरांत आयोग की अपेक्षाए:**

समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा करने के पश्चात् श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य ने सचिव, कार्मिक विभाग, असम राज्य से आयोग की अपेक्षा है कि वे उपरोक्त लिखित प्रश्नों के उत्तर शपथ

पत्र पर दिनांक 22.02.2021 शाम 05:00 बजे तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें एवं दिनांक 04.03.2021 को द्वतीय सुनवाई की तिथि निश्चित की गई।

**स्थान: नई दिल्ली**

**दिनाँक:**

**(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)**
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
22/2/21